तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5.7.19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादी आज भी अनुपस्थित हैं। वकील वादी ने साक्ष्य वादी हेतु एक और अवसर चाहा। जिस पर वकील प्रतिवादी ने आपत्ति की तथा बताया कि वादीया ने दि 11.12.14 से 28 अवसर साक्ष्य वादी हेतु दिये जाने के उपरान्त भी आज तक न्यायालय में नहीं तो उपस्थित रही है न ही उनके अधिवक्ता ने साक्ष्य वादी के समर्थन शपथ पत्र पेश किये हैं। वादी ने साक्ष्य वादी हेतु अवसर प्रदान करने के पश्चात भी साक्ष्य पेश नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया है। इस प्रकार दि 7.5.17 को साक्ष्य वादी हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी आज भी न्यायालय में उपस्थित साक्ष्य को [illegible] साक्ष्य वादी की [illegible] अतः वादी अधिवक्ता बंद की जाती है। वादी [illegible] [illegible] साक्ष्य वादी [illegible] नहीं करने का जो [illegible] कारण बताया है वो अंतिम अवसर पर [illegible] नहीं है। अतः वादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र सा. वादी हेतु एक अवसर दिये जाने का अस्वीकार किया जाता है।	

Sd/-
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर

न्यायालय सहायक कलेक्टर, रेवदर, जिला सिरोही

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी
न्यायालय सहायक कलेक्टर रेवदर, जिला-सिरोही	चूंकि इस प्रकरण में वादीया उर्फ अपना वाद के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है अतः वादीया का वाद अधीन धारा 91, 91बु, 188 रा.का.अ. 1955 पैरोकारी नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Sd/- (अभिषेक कु. पंवार) सहायक कलेक्टर (S. D. O.) रेवदर	

Scanned by CamScanner